

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्तभवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर-302005

दूरभाष 0141-2740837, फैक्स 0141-2742309, ईमेल jacct.dta@rajasthan.gov.in

क्रमांक:-प.4(ई)(1)(6)निप/भर्ती-2023/(स्थापना)/अलेसे-III/455-56 दिनांक:-25-04-2023

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

नव चयनित कनिष्ठ लेखाकारों के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में साक्षात्कार एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र बाबत आवेदन प्रस्तुत किया है। जिनका विवरण निम्नानुसार है।

| क्र. स. | कार्मिक का नाम, पद व कार्यालय                                                       | अनापत्ति प्रमाण-पत्र का विषय विवरण                                                                                                                 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | श्री रोबिन एन सोरेला, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति, बिजयनगर, ब्यावर | संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित श्रम ब्यूरो अन्वेषक ग्रेड-I परीक्षा-2024 में उत्तीर्ण होने के पश्चात् साक्षात्कार/दस्तावेज सत्यापन हेतु            |
| 2       | श्री साहिल विजयवर्गीय, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय कोषाधिकारी बीकानेर                  | राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित आर.ए.एस. मुख्य परीक्षा-2023 में उत्तीर्ण होने के पश्चात् साक्षात्कार/दस्तावेज सत्यापन हेतु             |
| 3       | पूजा हाडा, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय कोषाधिकारी कोटा                                 | राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित सहायक आचार्य (भूगोल) परीक्षा-2023 में उत्तीर्ण होने के पश्चात् साक्षात्कार/दस्तावेज सत्यापन हेतु       |
| 4       | श्री राकेश कुमार, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय कोषाधिकारी झुन्झुनूं                     | राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित सहायक आचार्य (समाजशास्त्र) परीक्षा-2023 में उत्तीर्ण होने के पश्चात् साक्षात्कार/दस्तावेज सत्यापन हेतु |

नव चयनित कनिष्ठ लेखाकारों को उनके आवेदन पत्र के आधार पर साक्षात्कार/दस्तावेज सत्यापन हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। यदि इनका चयन आवेदित पद पर किया जाता है तो ये नियमानुसार इस विभाग से कार्यमुक्त होकर चयनित पद पर कार्यग्रहण कर सकेंगे। इस संबंध में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

इन्हें साक्षात्कार/दस्तावेज सत्यापन की तिथि के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश देय नहीं होगा।

(बृजेश किशोर शर्मा)  
निदेशक एवं पदेन  
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:-प.4(ई)(1)(6)निप/भर्ती-2023/(स्थापना)/अलेसे-III/455-56 दिनांक:-25-04-2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित कोषाधिकारी..... ।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
3. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. संबंधित नवचयनित कनिष्ठ लेखाकार..... ।

(सीमा कौशल)  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)